



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को **आजीवन कारावास व ₹7,000/-** के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं० 898/2009 धारा- 302/201 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एडीजे-प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **मस्तराम उर्फ हरगोविन्द पुत्र शिवपरासन उर्फ रमसी केवट** निवासी ग्राम छिरका थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को **आजीवन कारावास व ₹7,000/-** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC
श्री विशम्भर पाल



विवेचक
एसओ श्री पी०डी० अटल



पैरोकार- थाना मौदहा
का० शुभम यादव